संख्या - 011/वी.जी.एल/094 (पार्ट-1)/179653

केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स, आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 29 जून, 2012

कार्यालय आदेश संख्या 13/06/12

विषय: अभियोजन स्वीकृतियों की संवीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन ।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 06.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं0 399/33/2006-एवीडी-III द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति (सिविल सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों से लिए गए विशेषज्ञों के साथ) का गठन किया था । इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से आयोग में प्राप्त ऐसे पुनर्विचार प्रस्तावों की जांच करना था जिनमें आयोग ने पहले अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की सलाह दी थी ।

2. दिनांक 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र सं0 30/10/09 द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति के पैनल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण आयोग एतदद्वारा 1 जुलाई, 2012 से निम्नलिखित सदस्यों वाले विशेषज्ञों के पैनल को पुन:गठित करता है:-

1. श्री ए.के. जैन, भा.प्र.से.(सेवानिवृत), भूतपूर्व सचिव, विनिवेश विभाग
2. श्री विवेक मेहरोत्रा, भा.प्र.से.(सेवानिवृत), भूतपूर्व सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
3. श्री वी.एस. जैन, भूतपूर्व-अध्यक्ष, सेल तथा सदस्य, पीईएसबी
4. श्री उदय शंकर दत्त, भा.पु.से.(सेवानिवृत)
5. श्री बलविंदर सिंह, भा.पु.से.(सेवानिवृत)
6. श्री आर.एन. रवि, भा.पु.से.(सेवानिवृत)
7. श्री प्रकाश चन्द्र, आई.आर.एस. (सेवानिवृत), भूतपूर्व-अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
8. श्री डी.एल. रावल, भूतपूर्व-सीएमडी, देना बैंक
9. श्री एम. वेणुगोपालन, भूतपूर्व-सीएमडी, बैंक ऑफ इंडिया

3. मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष (सतर्कता आयुक्त) सहित तीन सदस्यों की एक समिति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिश तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनंतिम दृष्टिकोण की पूर्ण रूप से जांच करेगी । समिति में विशेषज्ञ पैनल से लिए गए दो सदस्य होंगे तथा आयोग के सतर्कता आयुक्तों में से एक, बैठक की अध्यक्षता करेंगे । विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग, समिति की बैठक से 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उचित सलाह देगा ।

4. विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल दिनांक 01.07.2012 से दो वर्षों की अवधि का होगा । शर्तें एवं निबंधन, अनुबंध में निर्दिष्ट अनुसार होंगे ।

5. समिति की बैठकें दिल्ली में होगी । समिति की बैठकों से संबंधित किए जाने वाले व्यय हेतु आवश्यक कोष सहित अपेक्षित साचिविक सेवाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग उपलब्ध कराएगा ।

ह0/-
(कपिल देव त्रिपाठी)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

सेवा में

1. विशेषज्ञों की समिति के सदस्य
2. श्री पी.के. मिश्रा, सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. श्री ए.पी. सिंह, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

अनुबन्ध

विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति की शर्तें

1. **अवधि**

   कार्यकाल दो वर्षों की अवधि के लिए होगा

2. **मानदेय**

   सदस्यों को प्रति दिन 3000/- रू0 (केवल तीन हजार रू0) का मानदेय दिया जाएगा ।

3. **साचिविक सहायता**

   आयोग द्वारा साचिविक सहायता आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी ।

4. **किराया, परिवहन तथा आवास**

   सदस्यों की पात्रता के अनुसार आयोग द्वारा किराया, परिवहन तथा आवास दिया जाएगा ।